माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(32)

पुनरीक्षण क्रमांक– /2012

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R 1850-I/12

अमित भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 26-6-12 को प्रस्तुत
26-6-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हरदास पुत्र गोविंद सिंह यादव, निवासी–ग्राम विछरेंटा परगना भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)

———अपीलार्थी

बनाम

1. राघवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र यादव,
2. सूरज सिंह ना.बा. पुत्र राजेन्द्र सिंह संरक्षक महिला पुष्पादेवी मां पत्नी राजेन्द्र सिंह यादव, निवासीगण–ग्राम विछरेंटा परगना भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)
3. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर दतिया

——प्रत्यर्थीगण

Abhargava 26-6-012
अमितभार्गव (अधि०)

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 482/11–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 22/05/2012 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय

अपीलार्थी की अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अपीलार्थी के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि बंदोवस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 188, बंदोवस्त पश्चात् सर्वे क्रमांक 243, रकवा 2.592 हेक्टर ग्राम विछरेंटा तहसील भाण्डेर, जिला ग्वालियर दतिया में स्थित है। बंदोवस्त के दौरान अपीलार्थी के इस. सर्वे क्र.243 की

शाखा प्रभारी (रा.म.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1850–तीन/12

जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.4.15	आवेदक अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा, एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उनको सुना गया । प्रकरण में अपर आयुक्त के द्वारा 5 दिन का विलंब मानते हुए उनकेसमक्ष प्रस्तुत प्रकरण को अवधि बाह्य माना गया है । अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर का आदेश दिनांक 23–2–12 आवेदक को दिनांक 3–5–12 को नोट कराया गया है तथा आवेदक ने आदेश नोट करने के दिनांक से 15 दिन के अंदर दिनांक 17–5–12 को अपील प्रस्तुत करदी है जोकि समयावधि के अंदर है । निश्चित रूप से अपर आयुक्त के द्वारा अवधि की गणना करने में त्रुटि की गई है । अतः अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि के अंदर मानकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें । प्रशा. सदस्य	